	IN	THE COURT C	F A.K. Gup	ta, JMFC Gob	ad Dist Bhi	CEDURE COD	
ase No	•••••	•		Complaint or	report mad	2011)
i de la constitución de la const	addrace of	An Could		H. M. M. M. M. A. A.	Cot. Total		
enie and	auucss ui	me Complainan		911: 9	23116	**********	*******
		1.245, L. dol vy c61	र्ज	*************		**************	*******
	ri e	area terres repa	a		1/0		
· .							
		Name D	arontago cast	e and address	of accused		
a). 24	214 S/0	Dars or	aremage, case	e aiju address	Z		
יי ש	110) 200	गासी टाइ ए। ऽ१०	1 Ostes	٠ ١٦ ٩	9		
8) _E	RAIKIU	01 760	wino	410 612			
3	30014	8 Sto 21.	7450 6	1120 3	5 er dr		
	5.0	٥/١٤ ع٢١					
À	190	S. 6) -51	3 - 59	237Kl ,	ا کا کال کو	4	
	T	he offence, comp	olainant of, a	nd date of, its	lleged com	nission	
er e	आप	पर आरोप है	के दिनांक		bको क	रीब ८५०,57 बर	ने मुव
सार्वजनिक	ज्ञान	245	E. Tack	<u> </u>	***************************************	पर ताश	के प
27 may 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4	The second secon	जीत का दांव	A. 1865	Commence and the second			
	ऐसा व	करके आपने सा	र्वजनिक द्युत	अधिनियम 1	३६७ की धार	ा 13 के अधीन	ਟਰਵੜੀ
	ारित किया	and the second second second					4-9.
ગુનદાન વ				_ 4 _			
		क्या आपको उ	क्त अपराध	स्वाकार ह या	प्रातरक्षा चार	इत हा।	est or or st As or
						- I	
						o le set	
		The plea of	the accused a	and his examin	ation (if any)	संस्था जिल्ला किए।	a mor
	कार है। न्य	्न दण्ड से दण्डि	त करने का ि	नेवेदन है।			
अपराज १५							
070	Herta -						>
	100	₹CV			(SEATT !	5
		子 那一				BOAR ALL	Fr
1 2		any and in case of which the off	31	(d) classica(f) a		b section 260 the v	

//निर्णय//

(आज दिनांक ...देशक्राक्र..... को घोषित) ४-५-२०१२

- 01. आरोपी / गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजिनक धृत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
 - - 03. अभियुक्तगण से जप्तषुदा राशि ्रिक्ट्रें कि अपिल अविध पश्चात् राजसात् की जाये तथा जप्तसुदा मूल्यहीन सम्पत्ति ताश ्रिक्ट्रें पत्तों को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सुपुर्दगी पर दी गयी संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। जब्तशुदा अन्य संपत्ति ्रिक्ट्रें प्रिक्ट्रें पत्रिं अपराध से संबंधित एवं उसकी विषय वस्तु न होने से जिस व्यक्ति से जब्त की गयी उसे लौटाई जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.R.Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt Bhind (M.P.)